

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या <u>19/2026</u> रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रकांत 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	दिनांक : 25.03.2026 सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त उदयलाल की मृत्यु होने से दिनांक 23.04.2015 को कार्यवाही ड्रॉप की गई। अभियुक्त नारायणलाल की मृत्यु होने से दिनांक 13.03.2019 को कार्यवाही ड्रॉप की गई। अभियुक्त नाथूलाल को दिनांक 13.11.2024 को आरोपित अपराध से उन्मोचित किया गया। अभियुक्त अशोक कुमार को दिनांक 08.10.2024 को मफरूर किया गया। अभियुक्त चन्द्रकांत व शंभूसिंह मय अधिवक्ता श्री अतुल पालीवाल उपस्थित। अभियुक्त गिरिराज गुर्जर मय अधिवक्ता श्री भरत गुर्जर उपस्थित। अभियुक्त कल्याणसिंह मय अधिवक्ता श्री शंकरसिंह सिसोदिया उपस्थित। पत्रावली बयान मुलजिम के स्तर पर है। अभियुक्तगण के बयान मुलजिम लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त चन्द्रकांत व शंभूसिंह की ओर से प्रकरण में साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना चाहा गया। साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर दिया गया। अभियुक्त कल्याणसिंह व गिराज गुर्जर की ओर से साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा गया। अभियुक्त कल्याणसिंह व गिराज गुर्जर की साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर बंद किया जाता है। अभियुक्त चन्द्रकांत व शंभूसिंह के अधिवक्ता को आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिरक्षा दिनांक 01.04.2026 को पेश हो।	